

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

[सं. 04/2026-सीमाशुल्क)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 379(अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2016-सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “यात्री सामान नियम, 2016” दोनों स्थान जहां पर भी आते हैं, शब्दों और अंकों के स्थान पर “यात्री सामान नियम, 2026” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[सं. 450/174/2024-सीयूएस-IV]

(अनुरिमा शर्मा)
निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सं. 26/2016 सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।